

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जुलाई 2016—आषाढ़ 22, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. एफ-ए-6-38-2016-1-पांच (36).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) सीधी भर्ती द्वारा, चयन द्वारा”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. एफ-ए-6-38-2016-1-पांच (36).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-6-38-2016-1-पांच (36), दिनांक 13 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 13th July 2016

No. F-A-38-2016-1-V-(36).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Commercial Tax Appellate Board Class-III (Ministerial) Service Recruitment Rules, 2007, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, the sub-rule (1), for clause (a), the Following clause shall be substituted namely:—

“(a) By direct Recruitment, by selection;”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.